न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12/13/2019

वउनवान

1. रणवीर पुत्र जियालाल जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर (अलवर)।

——— अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रेटा पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर ।

——— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत रेटा

दिनांक 20.08.2001 इन्तकाल संख्या 346 वाके ग्राम रेटा

उपस्थित :–

श्री राधेश्याम चौधरी : वकील अपीलाण्ट

निर्णय **दिनांक 13.02.2020**

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि आराजी खसरा नम्बर 299, 310, 314, 315, 317, 322 कुल किता 6 रकवा 13 वीघा 17 विस्वा वाके ग्राम रेटा का 1/48 हिस्सा इस आराजी के खातेदार प्रभू पुत्र नन्नू जाति जाट निवासी रेटा से जरिये वयनामा दिनांक 22.05.2000 को अपीलाण्ट ने 13000 रूपये में खरीद किया है व विकता प्रभू ने अपीलाण्ट के हक में दिनांक 20.07.2000 को सव रजिस्ट्रार कठूमर के यहां वयनामा पंजीवद्व कराया है। जिस वयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.08.2001 को

इन्तकाल संख्या 346 दर्ज किया गया जिस इन्तकाल में पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम रणवीर के स्थान पर रणधीर दर्ज कर दिया जवकि वयनामा में रणवीर लिखा हुआ है। जिस इन्तकाल का मिलान कानूनगौ द्वारा किया गया कानूनगौ ने भी दर्ज इन्तकाल व वयनामा का मिलान किये विना ही इन्तकाल पर मिलान किया गया अंकन सही है लिख दिया। पटवारी हल्का ने उक्त इन्तकाल वास्ते स्वीकृतित रेस्पो0 के समक्ष पेश किया जिस दर्ज शुदा इन्तकाल को रेस्पो0 ने अपीलाण्ट को विना सुनाये विना वुलाये मनमाने तरीके से इन्तकाल व वयनामा का मिलान किये विना ही दिनांक 20.08.2001 के स्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत को वयनामा व दर्ज शुदा इन्तकाल का मिलान कर अपीलाण्ट का नाम इन्तकाल में मुताविक वयनामा रणधीर ही दर्ज करना चाहिए था। इन्तकाल संख्या

Scanned by CamScanner

346 ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 20.08.2001 गलत होने से निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट का नाम मुताविक वयनामा पहचान के दस्तावेजों के अनुसार रणधीर के स्थान पर रणवीर दर्ज किया जावे।

गलत इन्तकाल की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 09.10.2019 को पटवारी हल्का से हुई। जिस कारण जानकारी से प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है दिनांक 20.01.2001 से दिनांक 10.10.2019 तक की देरी को कण्डोन करने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया है जो स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद सुमार किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में इन्तकाल संख्या 346 वाके ग्राम रेटा छाया प्रति वयनामा परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पो0 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 18.10.2019 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 299, 310, 314, 315, 317, 322 वाके ग्राम रेटा का 1/48 हिस्सा अपीलाण्ट ने इस आराजी के खातेदार प्रभू से जरिये वयनामा दिनांक 22.05.2000 को खरीद कर अपने हक में दिनांक 20.07.2000 को सव रजिस्ट्रार कठूमर के यहां वयनामा पंजीवद्व कराया है। जिस वयनामा के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 07.08.2001 को इन्तकाल संख्या 346 दर्ज किया गया जिस इन्तकाल में पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम रणवीर के स्थान पर रणधीर दर्ज कर दिया जवकि वयनामा में रणवीर लिखा हुआ है। हाल राजस्व रेकार्ड गलत है। हाल राजस्व रेकार्ड में मुताविक वयनामा रणधीर के स्थान पर रणवीर शुद्व कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्व प्रथम हमें अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अतः हस्तगत प्रकरण में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति रजिस्टर्ड वयनामा में वादी/केता का नाम रणवीर दर्ज है। रेस्पो0 ने मनमाने तरीके से इन्तकाल में रणवीर के स्थान पर रणधीर अंकित कर इन्तकाल स्वीकार किया है। उक्त इन्तकाल प्रथम दृश्टा ही ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट को विना सुने व विना वुलाये ही स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। इस वजह से इन्तकाल सं0 346 वाके ग्राम रेटा ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 20.08.2001 अपीलाण्ट को विना सुने पारित होने से निरस्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो पक्षकारान को सुनकर व

Scanned by CamScanner

सम्यक् जांच कर विधिनुसार निर्णीत करें। आदेश की प्रति बास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिलकुमार सिंघल) 13.2.2020
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 13.02.2020 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिलकुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
13.2.2020

Scanned by CamScanner